बिहार सरकार
## समाहरणालय, कैमूर(भभुआ)
(श्रम अधीक्षक का कार्यालय)

Lskaimur1@gmail.com

पत्रांक – XIV– 13/2019-910

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, कैमूर।
निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कैमूर।
सिविल सर्जन, कैमूर।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0।
नोडल पदाधिकारी, **PM-SYM** कैमूर।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर।
डी0पी0एम0, जीविका, कैमूर।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्यान भोजन।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ।
डी0आई0ओ0, **NIC**, कैमूर।
जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कैमूर जिलान्तर्गत।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, कैमूर जिलान्तर्गत।
जिला प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेंटर, कैमूर।
श्रम संगठनों के अध्यक्ष/सचिव कैमूर जिलान्तर्गत।

भभुआ, दिनांक– 30/11/2019

विषय– प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना **(NPS-TRADERS)** संबंधित वृहत नामांकन कैम्प एवं पेंशन सप्ताह के दौरान आयोजित मिनी कैम्प में सुयोग्य लाभुकों के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 2019 एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-TRADERS) के व्यापक प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वन हेतु जिले में दिनांक–30.11.2019 से 06.12.2019 तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर दिनांक– 5.12.19 को लक्षित समूहों के सदस्यों के अधिकाधिक निबंधन हेतु वृहत् नामांकन कैम्प का आयोजन लिच्छवी भवन, कैमूर (भभुआ) में 11:00 बजे पूर्वाह्न से किया गया है। साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रखंड CSC द्वारा मिनी कैम्प आयोजित करते हुए अधिकाधिक लक्षित व्यक्तियों का निबंधन किया जाना है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्रान्तर्गत लक्षित समूहों यथा मनरेगा श्रमिक, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ऑगनवाड़ी सेवक, मध्याह्न भोजन श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, शहरी क्षेत्र के असंगठित मजदूर, व्यापारी, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक जैसे रिक्सा चालक, खुदरा दुकानदार, ईंट भट्ठों में काम करने वाले कामगार, कृषि क्षेत्र के कामगार, मछली पालन में संलग्न व्यक्ति इत्यादि को प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा निबंधन CSC के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

30.11.19

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

30/11/2019
श्रम अधीक्षक
कैमूर

रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2019/माघ 18, 1940
No. 646] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2019/MAGHA 18, 1940

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2019

**का.आ. 764(अ).**—केन्द्रीय सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोज्यता.—(1)** इस योजना का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, योजना 2019 है।

(2) यह योजना 15 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त होगी।

(3) इस योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए असंगठित कर्मकारों को 15 फरवरी, 2019 से इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प होगा।

(4) इस योजना के उपबंध उन असंगठित कर्मकारों पर लागू होंगे जो गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में एवं ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे हैं।

**(2) परिभाषाएं.**—इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) "असंगठित कर्मकार" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ड) में है;

(ग) "असंगठित क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में है ;

(घ) "पात्र अभिदाता" से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र है।

(ङ.) "परिवार" से,-

(i) पुरूष पात्र अभिदाता के मामले में, उसकी पत्नी;

(ii) महिला पात्र अभिदाता के मामले में, उसका पति अभिप्रेत है;

(च) पुरूष लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग भी है;

(छ) "पेंशन" से इस योजना के अधीन पात्र अभिदाता को देय रकम अभिप्रेत है;

(ज) "अंशदान" से पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में विनिर्दिष्ट मासिक आधार पर किसी पात्र अभिदाता द्वारा संदेय की जानेवाली रकम अभिप्रेत है;

(झ) "तुलनीय अंशदान" से पात्र अभिदाता के खाते में पात्र अभिदाता द्वारा जितनी रकम अंशदान में दी गई, केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय उसके बराबर रकम अभिप्रेत है;

(ञ) "राष्ट्रीय बोर्ड" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में है;

3. **पेंशन निधि:-** (1) केन्द्रीय सरकार, इस योजना के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं अपेक्षित हो, राष्ट्रीय बोर्ड के परामर्श से उस सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली पेंशन निधि का गठन करेगी।

(2) पात्र अभिदाता, जो इस योजना में सम्मिलित होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार, पेंशन निधि में इस योजना के साथ संलग्न अंशदान चार्ट में यथा विनिर्दिष्ट अंशदान करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार भी पेंशन निधि में किसी पात्र अभिदाता द्वारा अंशदान में दी गई, रकम के बराबर रकम का अंशदान करेगी;

(4) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (2) के अधीन संदेय प्रत्येक अंशदान को इस तरह से पूर्णांक बनाया जाएगा जिसमें पचास पैसे अथवा उससे अधिक की रकम को अगले उच्चतर रूपये में गिना जाएगा और पचास पैसे से कम रूपये के अंश पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4. **अंशदानों के संदाय में व्यतिक्रम के लिए तुकसानी की वसूली.**—जहां कोई पात्र अभिदाता इस योजना के अधीन नियम 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट पेंशन निधि में उसके द्वारा संदेय किए जाने वाले किसी अंशदान के संदाय में व्यतिक्रम करता है, तो उसे समय-समय पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथा-अवधारित ब्याज की दर के साथ उसके सम्पूर्ण बकाया देय का संदाय करके उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

5. **योजना में सम्मिनित होने की पात्रता.**—(1) यह योजना सम्मिलित होने के लिए केवल उस असंगठित कर्मकार के लिए खुली होगी, जिसकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो और ऐसा असंगठित कर्मकार योजना में सम्मिलित होते समय अठारह वर्ष से कम तथा चालीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो।

(3) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट असंगठित कर्मकार इस स्कीम में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित हो अथवा वह आयकर दाता हो।

6. **शंकाएं इत्यादि का समाधान.**—यदि कोई शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोई असंगठित कर्मकार इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र अभिदाता होने का पात्र है या नहीं अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई हो तो—

(i) ऐसी शंका की स्थिति में, मामले को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उनका स्पष्टीकरण अंतिम होगा ;

(ii) क्रियान्वयन में ऐसी कठिनाई की स्थिति में मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका स्पष्टीकरण अंतिम होगा ।

7. **पेंशन योजना को छोड़ने के लाभ.**—इस योजना के अंतर्गत इससे बाहर निकलने के उपबंध एवं फायदे निम्नवत हैं, अर्थात:—

(i) किसी पात्र अभिदाता के इस योजना में सम्मिलित होने से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलने की स्थिति में, उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज की दर के साथ लौटाया जाएगा;

(ii) यदि कोई पात्र अभिदाता इस स्कीम में सम्मिलित होने से दस वर्षों अथवा अधिक की अवधि के भीतर परन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस स्कीम से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज रकम को जोड़कर अथवा उस रकम पर बचत खाता से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो के साथ लौटाया जाएगा;

(iii) यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किए हैं और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, संचित ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ने का हकदार होगा/होगी;

(iv) अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात, यह समग्र राशि निधि में वापस डाल दी जाएगी;

(v) उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) के कारण छोड़ने के मामले में, सरकार के अंशदान का संचित भाग पेंशन निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा;

(vi) नामांकन सहित छोड़ने का कोई अन्य उपबंध, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी करके विनिश्चित किया जाए।

8. **नि:शक्तता लाभ.**—यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान अदा किए हैं और साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान देते रहने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पति/पत्नी तदुपरांत यथा प्रयोज्य नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा स्कीम में बने रहने अथवा पैरा 3 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा अदा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ने का हकदार होगा/होगी।

9. **पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को फायदे.**—पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।

10. **पेंशन का भुगतान.**— (1) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन तीन हजार रुपये प्राप्त करेगा।

(2) एक बार पात्र अभिदाता अठारह से चालीस वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे अभिदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अंशदान करना होगा और साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसा अभिदाता नियम 9 में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ तीन हजार रुपये, सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा। ।

उपाबंध

[पैरा 3(2) देखें]

| प्रवेश आयु (वर्ष में) | अधिवर्षिता आयु (वर्ष में) | सदस्यों का मासिक अंशदान (रुपये) | केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये) | कुल मासिक अंशदान (रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
| 18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
| 19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
| 20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
| 21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
| 22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
| 23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
| 24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
| 25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
| 26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
| 28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
| **29** | **60** | **100** | **100** | **200** |
| 30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
| 31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
| 32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
| 34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
| 35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
| 37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
| 38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
| 39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
| **40** | **60** | **200** | **200** | **400** |

[फा. सं. एल-11011/04/2018-आरडब्ल्यू (खण्ड.1)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महा निदेशक (श्रम कल्याण)